



Office of the Principal
Santhal Pargana College, Dumka
(Sido-Kanhu Murmu University, Dumka)

06434-222246(O)
Fax : 06434-222246

Dumka – 814101 (Jharkhand) India

Website: www.spcollegedumka.com

Ref. SPC/B.Ed/ISd/25

Date : 15/03/2025

अति-अल्पकालीन निविदा आमंत्रण आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सं० प० महाविद्यालय, दुमका बी० एड० भवन में अग्नि सुरक्षात्मक संयंत्र स्थापित करना है। उक्त कार्य अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार लगाया जाना है। उक्त कार्य हेतु योग्य एवं सक्षम तथा अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के मानकों पर खरे उतरने वाले फर्म से सील बंद कोटेशन दिनांक 18/03/2025 प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। न्यूनतम कोटेशन राशि एवं उत्कृष्ट/उत्तम गुणवत्ता वाले फर्म का चयन सं० प० महाविद्यालय, दुमका बी० एड० शिक्षकों की समिति द्वारा किया जायेगा। चयन होने पर उन्हें त्वरित उक्त कार्य करना होगा। कार्य असंतुष्टि या अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के मापदंड पर खरा नहीं उतरने पर विवाद की स्थिति में विधि न्याय क्षेत्र दुमका होगा।

संलग्न

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा जारी एडवाइजरी की छायाप्रति।

विभागाध्यक्ष

बी० एड०, सं० प० महाविद्यालय
दुमका

प्र० प्राचार्य

सं० प० महाविद्यालय, दुमका

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-13.03.2025

सेवा में,

YOGENDRA MURMU,
SANTHAL PARGANA COLLEGE, DUMKA, B. ED.,
VILL MASANJOR P.O BELKANDI P.S TONGRA.

विषय :- मौजा-KARHARBI, SONWADANGAL & RASIKPUR, प्लॉट नं०-160, 161,139,137,156,158,167A,155,157,153,159,168,152,133,158,133A,150,151,147,148,149,134,135,136,168,146,548,551A,77,182,183,184,145,194,172, 173,175,176,90,91,74,68,92,79,80,82,81,85,96,78,131,184, खाता नं०-01,04, 08, 87,91,99, वार्ड नं०-00, थाना-DUMKA MUFFASIL THANA, जिला-दुमका में निर्मित G+2 कॉलेज भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित कॉलेज भवन की स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, दुमका के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक जाँच कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक-112, दिनांक-12.03.2025 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में उक्त कॉलेज भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :

1. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में कम से कम 10,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ कॉलेज भवन के स्टेयरकेश लॉबी में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30-30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय एवं भवन के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
4. 450ली०/मि० क्षमता का एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
5. इन पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
6. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
7. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के०जी० क्षमता का दो अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
8. कॉलेज भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
9. कॉलेज भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. कॉलेज भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के०जी० क्षमता का दो अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
11. कॉलेज भवन के प्रत्येक स्टेयरकेश के प्रत्येक तलों पर ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. कॉलेज भवन के सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
13. कॉलेज भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
14. कॉलेज भवन के ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
15. कॉलेज भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
16. कॉलेज भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।

17. कॉलेज भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
18. कॉलेज भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
19. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
20. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
21. संबंधित भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवन को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
22. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, pseudonym=fdbdee274971488cb4dce37ab5e245e7,
2.5.4.20=894e76e7a55211a8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a5458ea0b0,
postalCode=834004, st=Jharkhand,
serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d8961d7e6d81
6, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2025.03.14 11:17:27 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।


17/03/25